क्रमांक 1367-ज-(1)-85/38365.—श्री तुलसी राम, पुत्र श्री तिरखा राम, गांव दीकली, तहसील गुडगांवा, जिला गुड़गांवा, की दिनांक 24 अक्तुबर, 1984, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तुलसी राम की मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3825-आर(4)-67/3060, दिनांक 5 सितम्बर, 1967, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भूरा देवी के नाम खरीफ 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 26 दिसम्बर, 1985

क्रमांक 1393-ज-(2)-85/38564.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और इस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री दरियाव सिंह, पुत्र श्री नन्द राम, गांव बेरी खास, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1389-ज(2)-85/38570.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री रावनिहाल सिंह, पुत्र श्री कांशीराम, गांव सहादत नगर, तहसील कोसली, जिला रोहतक को, रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

ओ० पी० सांगड़ा,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

CIRCLE JIND

The 20th December, 1985

No. 424.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is needed by the Government at public expenses, for a public purpose, namely constg. a road from village Kalwan to Shitla Matta Mandir, tehsil Narwana district Jind. It is, therefore, hereby declared that the land describde in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section 6 of the said Act, the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition, Collector, Jind, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Jind and Executive Engineer, Provl. Division Narwana.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village and Hadbast	Area in Acres	Rectangle/Killa Nos.
Jind	Narwana	Kalwan, H.B. No. 61	9.64	61 4, 7, 8, 14, 17, 18, 23, 24/1, 24/2

District	Tehsil	Locality/Village and Hadbast	Area in Acres	Rectangle/Killa Nos.
Jind—*concld*	Narwana—*concld*	Kalwan, H. No. 61—*contd*		68/3, 4/1, 4/2, 8, 9, 11, 12/1, 12/2, 20/1, 20/2, 21 69/16, 25/1, 25/2 90/4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 21, 22 98/1/1, 1/2, 99/5, 6, 7, 15; 14, 17, 18, 22, 23 117/25, 118/2, 3, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 20/1, 20/2, 21 129/5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 23, 24 174/18, 23.
		Rasta Jat		421, 433, 600, 623, 630, 640, 647, 659, 673, 683, 961, 984, 1022, 1046, 1055, 1058, 1145, 1163, 1178, 1193, 1208, 1216, 1604, 1607, 1608, 1609, 1625, 1627, 1637.
		Plot Hay		419, 429, 431, 601, 606, 607, 608, 621, 622, 629, 639, 641, 651, 652, 655, 656, 664, 665, 680, 681, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 595, 596, 597, 598, 599, 959, 963, 964, 1002, 1003, 1033, 1034, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1056, 1057, 1142, 1143, 1144, 1152, 1153, 1154, 1156, 1170, 1871, 1179, 1192, 1194, 1197, 1209, 432, 1207, 1217.

(Sd.) . . .,
Superintending Engineer,
Jind Circle, P.W.D., B&R Branch,
Jind.

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 20 दिसम्बर, 1985

संख्या 424.—चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिरिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजना गांव कालबान से सितला माता मन्दिर तहसील नरवाना जिला जींद के अपेक्षित है इसलिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजना के लिए अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपलब्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए है जिनके इससे सम्बन्ध हैं ।

प्रयोक्त धारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को, उनके सेवकों तथा कर्मचारी सहित परिक्षेत्र में भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञान सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं ।

कोई हितबद व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन के सम्बन्ध मे कोई अक्षेप हो इस अधिसूचना के राज्यपत्र में प्रकाश या दो समाचार पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अभिग्रहण अधिकारी के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । भूमि के नक्शों का निरीक्षण कार्यकारी इंजिनियर, प्रान्तीय मण्डल, नरवाना के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव/हदबस्त नं०	क्षेत्रफल	खसरा क्षेत्रफल क्र० संख्या
जीन्द	नरवाना	कालबान, 61	9.64	61 4, 7, 8, 14, 17, 18, 23, 24/1, 24/2 68 3, 4/1, 4/2, 8, 9, 11, 12/1, 12/2, 20/1, 20/2, 21 69 16, 25/1, 25/2 90 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 21, 22 98 99 1/1, 1/2 5, 6, 7, 15, 14, 17, 18, 22, 23 117 118 25 2, 3, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 20/1, 20/2, 21 129 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 23, 24 174 18, 23

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव/हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल	खसरा क्षेत्रफल क्र० संख्या
जींद	नरवाना	रास्ता जाट		421, 433, 600, 623, 630, 640, 647, 659, 673, 683, 961, 984, 1022, 1046, 1055, 1058, 1145, 1163, 1178, 1193, 1208, 1216, 1604, 1607, 1608, 1609, 1625, 1627, 1637
		प्लाट हरि०		419, 429, 431, 601, 606, 607, 608, 621, 622, 629, 639, 641, 651, 652, 655, 656, 664, 665, 680, 681, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 595, 596, 597, 598, 599, 959, 963, 964, 1002, 1003, 1033, 1034, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1056, 1057, 1142, 1143, 1144, 1152, 1153, 1154, 1156, 1170, 1171, 1179, 1192, 1194, 1197, 1209, 432, 1207, 1217.

(हस्ताक्षर), , ... ,,

अधीक्षक इंजिनियर,

जींद वृत, लोक निर्माण विभाग,

भ० तथा स० शाखा, जींद।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

BHIWANI CIRCLE

The 6th December, 1985

No. Z-42-A/IV/442-D.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be taken by Government at public expense, for a public purpose, namely, constructing a road from Dhigawa Shamyana to Kari Tokha in Bhiwani District, it is hereby notified that the land in locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officer, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workman to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector. P. W. D., B. & R. Branch, Hissar,

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No.
Bhiwani	Loharu	Dhigawa Shamyana	39	1.67 Acres 0.67 Hectare	Plots 103, 104, 105, 106, 159, 160, 161, 162, 133/1, 133, 135 Phirni 41 9, 13/1, 18 Rasta, 109, 120 Rasta, 16, 25 60 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 118, Rasta. 44 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16 45 11, 19/1, 19/2, 20, 21, 22/1, 22/2, 23 57 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8, 184, 15, 16 56 11, 19, 20, 21, 22, 23 65 66 3, 4, 6, 7, 124, 15, 16 11, 19, 20, 21, 22, 23 73 72 3, 4, 6, 7, 15, 16 11, 19, 20, 22, 23 84/3, 180, 119, Main Rasta
Bhiwani	Dadri	Kari Tokha	47	1.20 Acres 0.52 Hectare	16 7/24 ,3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7 15 1, 10/1, 10/2, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17/1, 17/2, 18, 24, 25 14 20, 21/1, 21/2, 186, 22, 23 22 23 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15/1 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 Plots 154, 155, 156, 157, 63 rasta, 120, 121, 83, 84, 85, 89, 127, Rasta, 131 26 1, Rasta, 10, 11/1, 11/2, 12, 19, 20, 21, 22, Rasta.

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No.
Bhiwani—*concld*	Dadri—*concld*	Kari Tokha			38
					1, 2, Pacca road, 3
				0.52	Phirni, 67 main. rasta
		G. T^{o}tal	2.96 Acres		
			1.19 Hectare		

(Sd.) . . . .,

Superintending Engineer,

Bhiwani Circle, P.W.D., B.&R. Branch,
Bhiwani.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 6 दिसम्बर, 1985

सं० ओ०वि०/सोनीपत/68-85/49592.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० शंकर टैक्सटाईल मिल्ज, 41/4, बहालगढ़ रोड, सोनीपत, के श्रमिक श्री राम सुन्दर, पुत्र बांके लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम सुन्दर पुत्र बांके लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ०वि०/सोनीपत/68-85/49599.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० शंकर टैक्सटाईल मिल्ज, 41/4, बहालगढ़ रोड, सोनीपत, के श्रमिक श्री जगदीश प्रशाद, पुत्र राम बरन तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जगदीश प्रशाद, पुत्र राम बरन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?